

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई - 400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 7.12.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रिंस कुमार पिता—अरुण कुमार सिंह ग्राम—हरनाथपुर परसौनी पो०—हरनाथपुर थाना—पकड़ी दयाल जिला—पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं०—सीएन / 26309	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	बुचुन शर्मा पिता—जीतन शर्मा ग्राम—सिंधी पो०—चाके डिहरा थाना—बेलाव जिला—भमुआ, कैमुर केसफाइलनं०—सीएम / 36044	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	रंजन कुमार पिता—सदानन्द मंडल ग्राम—पो०—खैरा थाना—हवेली खडगपुर जिला—मुंगेर केसफाइलनं०—सीएन / 17810	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	राधिका देवी पति—विजय कुमार सिंह ग्राम+पो०+थाना—तीयर जिला—भोजपुर केसफाइलनं०—सीएन / 14603	कैंसर रोग	₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) स्वीकृत।

२०/११/३
१९/११/११.

5	वसी अहमद पिता—मो० इब्राहीम ग्राम+थाना—छत्तौनी पो०—मोतिहारी जिला—पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं०—सीएन / 25996	कैसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	महेश पासवान पिता—महिन्द्र पासवान ग्राम+पो०—खाजे चॉद छपरा थाना—गोरौल जिला—वैशाली केसफाइलनं०—सीएन / 28270	कैसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,85,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रुपया का क्रास चेक सं०....

836844 मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।


विश्वासभाजन

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - १७३६ (१५)

पटना, दिनांक - १९-१२-१६

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री राना रणधीर मा० स०वि०स० मधुबन/ श्री राहुल तिवारी मा० स०वि०स०शाहपुर/ श्री सचिन्द्र प्र० सिंह मा० स०वि०स० कल्याणपुर/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.१२.१६

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
 बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
 सेवा में,
 निदेशक,
 टाटा स्मारक अस्पताल,
 परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
 महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.12.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उषा देवी पति—मोहन यादव ग्राम—सियातांड पो0+थाना—सिमुल्लतल्ला जिला—जमुई केसफाइलनं0—सीएन / 30757	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	विजय कुमार पाण्डेय पिता—स्व. श्रीरंग पाण्डेय ग्राम—पो0—वैना थाना—नावानगर जिला—बक्सर केसफाइलनं0—सीएन / 06913	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं0.....
 83.6214 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/चृद्घ नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र खास्थ विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद)
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - १७७१ (१५)

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन) १५/१२/१६